न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थितः–जे0पी0 यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा

(J.O. Code-UP6551)

UPKS010033172022

सत्र परीक्षण संख्या–264 / 2022

उत्तर प्रदेश राज्य। ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

शनि पटेल पुत्र स्व0 राममिलन पटेल निवासी कटईया मजरा बमरौली, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी। ....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–485 / 2010
धारा–4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना–कोखराज,
जिला–कौशाम्बी।

विद्वान अधिवक्तागणः

अभियोजन पक्ष की ओर से : श्री सोमेश्वर तिवारी,
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

बचाव पक्ष की ओर से : श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, एडवोकेट

निर्णय

(1) अभियुक्त शनि पटेल का विचारण वर्तमान न्यायालय द्वारा धारा 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप के लिए किया गया है।

अभियोजन कथानक एवं आरोप (Case of the prosecution and charge)

(2) वादी मुकदमा एस0आई0 केशव प्रसाद दुबे चौकी मूरतगंज, थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी द्वारा दिनांक 30.07.2010 को थाना कोखराज जिला कौशाम्बी को दिये गये नकल फर्द बरामदगी 02 अदद देशी बम तथा गिरफ्तारी अभियुक्त (प्रदर्श क–5) में अंकित अभियोजन केस / घटना का विवरण संक्षिप्त में निम्नांकित प्रकार हैः–

आज दिनांक 30.07.2010 को मैं एस0आई0 केशव प्रसाद दुबे मय हमराही कां0 156 वीर बहादुर सिंह व कां0 26 श्यामबिहारी के साथ तलाश वांछित अपराधी एवं वारण्टियों की गिरफ्तारी में ग्राम धन्नी के पास खड़ा होकर आपस में

विचार विमर्श कर रहा था कि मुखबिर ने आकर बताया कि साहब बसावनपुर गांव की तरफ से सड़क मार्ग से होता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है, उसके पास देशी बम है। अगर जल्दबाजी की जाय तो वह पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उपरोक्त हमराहियों को साथ में लेकर मुखबिर के साथ बसावनपुर मोड़ पर आये। एक व्यक्ति बसावनपुर गांव के तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। मुखबिर ने बताया कि यही व्यक्ति है, जिसके पास देशी बम है। मुखबिर वहां से चला गया। हम पुलिसवालों को देखकर वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा कि बसावनपुर मोड़ से करीब 50 कदम बसावनपुर जाने वाली सड़क पर समय करीब 15.30 बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम शनि पटेल पुत्र स्व0 राममिलन पटेल निवासी घटैया मजरा बमरौली, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी बताया और दाहिने हाथ में लिए सफेद झोले में देखा गया तो उसमें दो अदद देशी बम है। तत्काल ही कां0 26 श्याम बिहारी को पास में स्थित ईट के भट्ठा पर भेजकर एक बाल्टी में पानी मंगाया और बम को उसी में डालकर निष्क्रिय किया गया है। अभियुक्त का यह कार्य धारा–4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध है। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया। थाना वापस आकर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी जायेगी। मौके पर फर्द लिखकर पढ़कर सुनाकर सम्बन्धित सभी के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी जा रही है।

(3) वादी मुकदमा एस0आई0 केशव प्रसाद दुबे, चौकी मूरतगंज, थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी को दिनांक 30.07.2010 को घटित घटना के सम्बन्ध में दिये गये नकल फर्द बरामदगी 02 अदद देशी बम तथा गिरफ्तारी अभियुक्त के आधार पर थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी पर दिनांक 30.07.2010 को मुकदमा अपराध संख्या–485 / 2010 अन्तर्गत धारा 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम अभियुक्त शनि पटेल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 दर्ज की गयी तथा उसी दिन इसकी प्रविष्टि उक्त थाने की जी0डी0 प्रदर्श क–2 में की गयी। इसके पश्चात् विवेचक द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना सम्बन्धी अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर विवेचक द्वारा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्त शनि पटेल के विरूद्ध धारा 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–4 प्रेषित किया गया।

(4) तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा दण्ड वाद संख्या 6625 / 2010, सरकार बनाम शनि पटेल, धारा 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी में पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 17.08.2022 द्वारा अभियुक्त शनि पटेल के दण्ड वाद को विचारण हेतु

सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

(5) तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी श्री ब्रजेश कुमार मिश्र द्वारा दिनांक 28.09.2022 को अभियुक्त शनि पटेल के विरूद्ध धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग किया।

अभियोजन साक्ष्य (Prosecution Evidence)

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नवत है:–

1. पी0डब्लू0–1 कां0 मो0 मारूफ, वर्तमान तैनाती डी.सी.बी. गंगानगर, जनपद प्रयागराज।
2. पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छोटेलाल मिश्र, निवासी मोहल्ला शास्त्रीपुरम, थाना सिकन्दरा, जनपद आगरा।
3. पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक बीरबहादुर सिंह, वर्तमान तैनाती कन्ट्रोल रूम उ0प्र0 112 पुलिस लाईन प्रतापगढ़।

अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त सभी साक्षियों को परीक्षित कर न्यायालय में उनका मौखिक साक्ष्य अंकित कराया गया है।

(7) अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत है:–

1.	प्रदर्श क–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श क–2	कायमी जी0डी0
3.	प्रदर्श क–3	नक्शानजरी
4.	प्रदर्श क–4	आरोपपत्र
5.	प्रदर्श क–5	फर्द बरामदगी
6.	प्रदर्श क–6	अभियोजन स्वीकृति
7.	प्रदर्श क–7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट

अभियुक्त का कथन एवं उसकी प्रतिरक्षा (Statement of the accused and his defence)

(8) अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना कहा तथा अभियोजन साक्षी सं0–1 व अभियोजन साक्षी सं0–2 द्वारा गलत प्रपत्र साबित किया जाना कहा। अभियोजन साक्षी सं0–3 द्वारा गलत बयान दिया जाना कहा तथा यह भी कहा कि वह पूर्णरूप से निर्दोष है। इस मुकदमें में उसे पूरी तरह से गलत तरीके से झूँठा फंसाया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। तदुपरांत बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी।

(9). प्रस्तुत मामले में धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अपीलीय

न्यायालय के समक्ष अभियुक्त शनि पटेल की ओर से उसकी उपस्थिति हेतु अंकन बीस हजार रूपये के निजी बन्धपत्र एवं उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूपत्र प्रस्तुत किये गये, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

(10) मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

(11) प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम उभय पक्ष द्वारा साक्षियों के अभिकथनों के बावत दिये गये तर्कों, बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्षियों के अभिकथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जिसका क्रमवार विवरण अग्रवत हैः–

(12) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी0डब्लू0–1 कां0मो0 मारूफ** है। इसने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 30.07.2010 को ये बतौर कां0 मोहर्रिर के पद पर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में तैनात था। उसी दिन उपनिरीक्षक केशव प्रसाद दुबे, का0 वीर बहादुर सिंह व कां0 श्याम बिहारी के साथ थाना उपस्थित आकर एक लिखित फर्द व एक नफर अभियुक्त व दो अदद देर्शीी बम डिब्बो में निष्क्रिय मय नमूना मोहर थाना उपस्थित आये। इसके द्वारा फर्द के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–485/2010 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दिनांक घटना 30.07.2010 समय 15.30 बजे दिनांक सूचना 30.07.2010 समय 18.30 बजे घटना स्थल बसावनपुर थाना कोखराज वादी उ0नि0 केशव प्रसाद थाना कोखराज बनाम शनि पटेल के विरूद्ध पंजीकृत किया गया जो इसके हस्तलेख में है। पत्रावली में संलग्न का0सं0–4क/1 की हस्तलेख की इसने पहचान की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जी.डी. का0सं0–5क/2 जो इसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी इसने पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने इसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि इसके सामने आज असल जी.डी. नहीं है। साक्षी ने सुझाव के इस कथन से इंकार किया है कि इसने एण्टीटाईम व एण्टीडेट डालकर जी.डी. तैयार की हो। घटना वाले दिन इसने इस मुकदमें के पहले व इस मुकदमें के बाद कौन सा मुकदमा लिखा है, इसे याद नहीं है। इसने किसी के आदेश से मुकदमा नहीं लिखा था बल्कि इसने फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। फर्द पर वादी मुकदमा के दस्तखत था। फर्द घटनास्थल पर लिखी गयी थी। फर्द दिनांक 30.07.2010 को तैयार की गयी थी। साक्षी ने सुझाव के इस कथन से भी इंकार किया है कि इसने जी.डी. गलत ढंग से तैयार की हो।

इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान के बावत अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क देते हुये कहा गया है कि इसने चिक एफ0आई0आर0 क्रमशः प्रदर्श क–1 एवं कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–2 को साबित किया गया है। इसके बयान से वादी मुकदमा द्वारा दी गयी फर्द के आधार पर मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना साबित होता है। इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क देते हुये कहा है कि इसके बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त को इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा झूठा फंसाया गया है। इसके बयान से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

उभयपक्ष के तर्को एवं इस साक्षी के बयान के आलोक में यदि मामले को देखें तो निश्चय ही इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 30.07.2010 को ये बतौर कां0 मोहर्रिर के पद पर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में तैनात था और वादी मुकदमा द्वारा दी गयी फर्द के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 क्रमशः प्रदर्श क–1 एवं कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–2 को साबित किया है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि इसके बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त को इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा झूठा फंसाया गया है। इसके बयान से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है। निश्चय् ही इस साक्षी के बयान के बावत उभयपक्ष द्वारा कई बिन्दुओं पर तर्क दिये गये हैं। अतः इनके आलोक में इस साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक को बल मिलने या न मिलने के सम्बन्ध में निष्कर्ष निर्णय में आगे दिया जायेगा।

(13) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त छोटेलाल मिश्र** है। इसने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि ये दिनांक 30.07.2010 को थाना कोखराज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन ही मु0अ0सं0–485 / 2010 धारा 4 / 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में पंजीकृत होकर विवेचना इसको सुपुर्द की गई। मुकदमा कां0मो0 मारूफ ने पंजीकृत किया था, जिसकी नकल एफ.आई.आर. वास्ते विवेचना हेतु दिया था। जिसका पर्चा नं0–1 दिनांक 30.07.2010 को किता किया था जिसमें नकल चिक, नकल रपट व बयान अभियुक्त शनि पटेल का अंकित किया था। गिरफ्तारी प्रपत्र का प्रारूप भी नकल किया था और बयान मो0 मारूफ एफ.आई.आर. लेखक का अंकित किया गया था। पर्चा नं0–2 दिनांक 13.08.2010 को किता किया था, जिसमें बयान वादी उ0नि0 केशव प्रसाद दुबे, कां0 बीरबहादुर सिंह व कां0 लालबिहारी का अंकित किया गया था और थाना कार्यालय से अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र की पर्चा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसकी नकल की गई थी। निरीक्षण घटनास्थल व समई साक्ष्य मौके पर जाकर

वादी केशव प्रसाद दुबे के निशानदेही पर किया गया था। बम डिस्पोजल हेतु रिपोर्ट हेड मोहर्रिर को दी गई थी। दिनांक 27.08.2010 को पर्चा नं0—3 किता किया था, जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त बम डिस्पोजल रिपोर्ट नकल की गई थी, जिसमें बम सुतली, देशी बम के हैण्ड इन्ट्री किया गया, डिस्पोजल अवशेष, काले रंग का पाउडर, लोहे के टुकड़े बरामद हुए थे। अभियुक्त से बखूबी जुर्म साबित हो रहा था। धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बखूबी साबित हो रहा था, जिसमें आरोपपत्र सं0—260/2010 दिनांक 27.08.2010 को शनि पटेल के विरूद्ध प्रेषित किया है। पूरक केस डायरी सं0—1 में बम डिस्पोजल पुलिस कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी, उसकी नकल की गई है। पूरक केस डायरी सं0—2 दिनांक 11.12.2010 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई है, उसकी नकल की गई है। पूरक केस डायरी सं0—3 दिनांक 13.12.2010 को किता किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय से अभियोजन अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी नकल की गई है। पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी कागज सं0—6क इसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी इसने पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क—3 डाला गया तथा आरोपपत्र जो इसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क—4 डाला गया।

बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना घटित हुए लगभग 14 वर्ष हो गया है। इसे याद नहीं है कि घटनास्थल ये कब गया था। घटनास्थल ग्राम बसावनपुर के दक्षिण दिशा में स्थित है। घटनास्थल ग्राम बसावनपुर से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी नहीं है। इसने सर्वप्रथम वादी का बयान लिया था। वादी मुकदमा का बयान किस तारीख को लिया था, याद नहीं है। वादी के बाद इसने वीर बहादुर सिंह का बयान लिया था। घटना के सभी गवाहों का बयान इसने एक दिन ही अंकित किया था। किस तारीख को किया था, याद नहीं है। सभी गवाहों का बयान एक ही दिन थाने पर लिया था। घटना के समय ये थाना कोखराज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। जिलाधिकारी से इसने कब अभियोजन चलाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी, तारीख याद नहीं है। इसने अभियोजन स्वीकृति के लिए स्वयं पेश होकर अनुमति प्राप्त की थी। एस.ओ. की भी स्वीकृत हुई थी। आज माल मुकदमाती इसके समक्ष गवाही के समय उपलब्ध नहीं है। घटना के बाद बरामदशुदा माल थाने में दाखिल हो गया था तो इसके बाद इसने देखा था। हेड मोहर्रिर से पूछ करके इसने मालखाने में देखा था। हेड मोहर्रिर ने दिखाया था। घटना के दूसरे दिन इसने बरामदशुदा माल को देखा था। बरामदशुदा माल किस कपड़े के झोले में रखा था, यह याद नहीं है। अभियुक्त का बयान इसने घटना वाले दिन ही लिया था। साक्षी ने सुझाव के इस कथन से

इंकार किया है कि थाने पर बैठकर इसने सम्पूर्ण कार्यवाही गलत तरीके से करके अभियुक्त के खिलाफ गलत आरोपपत्र दाखिल किया हो तथा अभियुक्त के पास से कोई अवैध वस्तु प्राप्त न हुई हो और गलत ढंग से फंसाया गया हो।

इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान के बावत अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क देते हुये कहा गया है कि इस साक्षी ने मामले में विवेचना की है और इसने प्रदर्श क–3 नक्शा नजरी व प्रदर्श क–4 आरोपपत्र को साबित किया है। इसके बयान से अभियुक्त की इस मामले में संलिप्तता साबित होती है। इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क देते हुये कहा है कि विवेचक ने मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विवेचना नहीं की है और अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से फसाया गया है तथा फर्जी फर्द बरामदगी तैयार की गयी है। यह साक्षी विवेचना के समय वादी मुकदमा के साथ एक ही थाने पर कार्य कर रहा था। अतः गलत विवेचना का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये और उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिये।

उभयपक्ष के तर्को एवं इस साक्षी के बयान के आलोक में यदि मामले को देखें तो अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि इस साक्षी ने मामले में विवेचना की है और प्रदर्श क–3 नक्शानजरी व प्रदर्श क–4 आरोपपत्र को साबित किया है। जबकि बचाव पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि विवेचक ने मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विवेचना नहीं की है और अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है तथा फर्जी फर्द बरामदगी तैयार की गयी है। अतः गलत विवेचना का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये और उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिये। निश्चित रूप से मात्र गलत विवेचना के आधार पर किसी अभियुक्त को किसी मामले में दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यदि मामला साक्षियों के बयान से साबित होता है और विवेचना के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो भी इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। अतः मामले में परीक्षित किये गये समस्त साक्षियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आलोक में विवेचना के संदर्भ में निष्कर्ष निर्णय में आगे दिया जायेगा।

(14) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक बीरबहादुर सिंह** है। इसने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 30.07.2010 ये पुलिस चौकी मूरतगंज, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में कां० के पद पर तैनात था। इसी दिन ये एस.आई. केशव प्रसाद दुबे एवं कां० श्याम बिहारी तलाश वांछित और वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी के लिये चौकी क्षेत्र मूरतगंज से रवाना हुआ था। धन्नी गांव के पास खड़े होकर दरोगा जी और ये लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। मुखबीर ने बताया कि साहब एक आदमी बसावनपुर की गांव की ओर से सड़क मार्ग से आ

रहा हैं जिसके पास देशी बम हैं अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इसी सूचना पर विश्वास करके उपरोक्त हमराहियों को साथ लेकर मुखबिर के साथ बसावनपुर रोड पर आये। एक व्यक्ति बसावनपुर की तरफ से आता हुआ दिखायी पड़ा, मुखबिर ने बताया कि यह वही व्यक्ति हैं जिसके पास देशी बम हैं। मुखबिर वहां से चला गया। पुलिस वालों को देखकर वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़कर भागना चाहा कि ये लोग बसावनपुर मोड़ से करीब पचास कदम पर बसावनपुर जाने वाली रोड पर समय करीब 15:30 बजे पकड़ लिए। नाम पता पूछने पर अपना नाम शनि पटेल पुत्र स्व० राममिलन पटेल निवासी कटइया बम्हरौली, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी बताया। दाहिने हाथ में लिये सफेद झोले में देखा गया तो उसके पास से दो अदद देशी बम बरामद हुआ। दरोगा जी ने कां० श्याम बिहारी से पास के भट्ठे से एक बाल्टी में पानी मंगवाया था जिसमें बम डालकर निष्क्रिय किया गया था। इसके बाद मौके पर फर्द लिखकर दरोगा जी और ये लोग माल व मुल्जिम को लेकर थाना पहुंचे थे। अभियुक्त का यह कृत्य 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध है। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय उच्चतम् न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया व थाने पर जाकर माल–मुल्जिम दाखिल किया गया। जिसके खिलाफ अपराध संख्या 485/2010, धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम शनि पटेल पुत्र स्व० राममिलन पटेल, निवासी घटइया बम्हरौली, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। फर्द एस.आई. केशव प्रसाद दुबे के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे उनके द्वारा मौके पर लिखा गया था जिस पर इसने अपना हस्ताक्षर बनाया था। एस.आई. केशव प्रसाद दुबे की मृत्यु हो गयी है, इसके बारे में इसने सुना है। इसने एस.आई. केशव प्रसाद दुबे के साथ लगभग एक वर्ष काम किया है। पत्रावली में संलग्न फर्द कागज संख्या 4क/2 पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर पुष्टि किया तथा एस.आई. केशव प्रसाद दुबे के लेख व हस्ताक्षर को देखकर पहचान किया, जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने इसका बयान लिया था। पत्रावली में संलग्न अभियोजन स्वीकृति जिलाधिकारी प्रपत्र कागज संख्या 8क व विज्ञान विधि प्रयोगशाला रिर्पोट कागज संख्या 9क/1 की इसने पुष्टि किया, जिसपर क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाला गया ।

बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन इसकी रवानगी चौकी मूरतगंज से थाना क्षेत्र के वांछित अपराधी के तालाश के लिये एस.आई. केशव प्रसाद दुबे के हमराही के रुप में हुआ था । चौकी से निकलने के बाद सीधे धन्नी गांव के पास पहुंचे थे इसके पहले और किसी गांव नहीं गया था। धन्नी गांव

हम लोग लगभग 2:45 बजे दिन में पहुंचा था । धन्नी गांव में करीब आधा घण्टा तक ये लोग खड़े थे। चौकी से इसकी रवानगी कितने बजे हुयी थी, समय इस समय याद नहीं हैं। मुखबिर से कितने बजे मुलाकात हुयी थी, समय याद नहीं हैं लेकिन धन्नी गांव में मुखबिर की दरोगा जी से मुलाकात हुयी थी। मुखबिर ने दरोगा जी से बताया था, ये भी सुन रहा था। ये चौकी से मोटरसाइकिल से दरोगा जी के साथ बैठकर धन्नी गांव गये थे। कां० श्याम बिहारी अपने मोटरसाइकिल से गये थे। मुखबिर धन्नी गांव से बसावनपुर तक साथ में गया था। मुल्जिम को मुखबिर के बताने के बाद इन लोगों ने साथ में देखा था। बसावनपुर जी.टी. से दक्षिण दिशा में है लेकिन दूरी याद नहीं है। धन्नी से बसावनपुर की दूरी इस समय याद नहीं है। धन्नी से बसावनपुर मोटरसाइकिल से जाने पर लगभग दस मिनट लगता होगा। मुल्जिम को सब लोगों ने साथ में पकड़ा था। मुल्जिम की तलाशी दरोगा जी ने लिया था। मुल्जिम को जहां से इन लोगों ने देखा था वहां से मुल्जिम दक्षिण दिशा में था। घटना स्थल जहां है वहां जनता के लोग साइकिल से आते–जाते थे लेकिन घटना के समय कोई नहीं था। घटनास्थल पर जनता के लोगों को नहीं बुलाया गया था। घटनास्थल से बसावनपुर गांव से थोड़ी दूर पर है। बसावनपुर गांव घटनास्थल से कितनी दूर पर है, याद नहीं है। घटना स्थल से भट्ठा पूरब दिशा में था लेकिन किसका भट्ठा था पता नहीं है। घटनास्थल पर ही इसने फर्द पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। बम गोल–गोल था, सुतली से बंधा हुआ था लेकिन आकार का माप नहीं किया गया था। माल और मुल्जिम को लेकर करीब साढे छः बजे शाम को थाने पर ये लोग पहुंचे थे। दिनांक 13.08.2010 को विवेचक ने इसका बयान लिया था। मुल्जिम की जामा तालाशी दरोगा जी ने लिया था। मुल्जिम के दाहिने हाथ में लिये झोले से दो देशी बम बरामद हुए थे और कुछ नहीं बरामद हुआ था। झोला सफेद रंग का कपड़े का था। साक्षी ने सुझाव के इस कथन से इंकार किया हैं कि मुल्जिम को हम लोगों ने झूठा फंसा दिया हो और उसके पास से कोई बम बरामद न हुआ हो ।

इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान के बावत अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क देते हुये कहा गया है कि यह साक्षी वादी मुकदमा का हमराह रहा है तथा इसने प्रदर्श क–5 को साबित किया है तथा इसने फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। इसके बयान से भी फर्द बरामदगी साबित है। इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान से यह तथ्य साबित है कि जब अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से दो अदद देशी बम अवैध बरामद हुआ। इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित होता हैं। इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क देते हुये कहा है कि अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं

हुआ है। फर्द बरामदगी का कोई लोक साक्षी नहीं है और जो साक्षी दर्शाये गये हैं वे पुलिस के विभागीय लोग है और इस साक्षी के साथ कार्यरत पुलिस के लोग है। अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है।

उभयपक्ष के तर्को एवं इस साक्षी के बयान के आलोक में यदि मामले को देखें तो निश्चय ही यह साक्षी वादी मुकदमा का हमराह रहा है तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 इसके द्वारा साबित किया गया है। इसके द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी में वादी मुकदमा एवं अन्य पुलिसकर्मी ही साक्षी के रूप में दर्शाये गये हैं, कोई लोक साक्षी पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है। जहॉ तक इस साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक के साबित होने या न होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में विस्तृत निष्कर्ष निर्णय में आगे दिया जायेगा।

(15) प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये अभिकथनों के विश्लेषण के उपरान्त अभिनिर्धारण/अवधारण के लिए निम्नलिखित बिन्दु/ प्रश्न (Point of determination) सुनिश्चित किये जाते हैः–

अवधारण हेतु प्रश्न (Point of determination):–

1– क्या प्रस्तुत प्रकरण में कोई लोक साक्षी नहीं है?

2– क्या फर्द बरामदगी की प्रमाणिकता संदिग्ध है?

3– क्या मामले की विवेचना निष्पक्ष ढंग से नहीं की गयी है?

4– क्या केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है?

5– क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

उपरोक्त सभी बिन्दुओं/प्रश्नों के विनिश्चय/विनिश्चय के कारण की बावत निष्कर्ष कमवार निम्नवत् हैः–

15(1). क्या प्रस्तुत प्रकरण में कोई लोक साक्षी नहीं है?

इस संदर्भ में बचाव पक्ष ने कहा है कि मामले में कोई लोक साक्षी नहीं है। फर्द बरामदगी संदिग्ध है। फर्द बरामदगी में जो साक्षी दर्शाये गये हैं वे पुलिस के विभागीय लोग हैं और वादी के साथ कार्यरत् पुलिस के लोग हैं। अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने तर्क देते हुये कहा है कि फर्द बरामदगी सही है और अभियोजन कथानक प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान से साबित है। निश्चित रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रदर्श क–5 फर्द बरामदगी एवं अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किये गये साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी का कोई लोक साक्षी नहीं

है। साक्षी पी0डब्लू0–3 बीर बहादुर सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि मुल्जिम को जहां से इन लोगों ने देखा था, वहां से मुल्जिम दक्षिण दिशा में था। घटना स्थल जहां है, वहां जनता के लोग साइकिल से आते जाते थे लेकिन घटना के समय कोई नहीं था। घटनास्थल पर जनता के लोगों को नहीं बुलाया गया था। घटनास्थल बसावनपुर गांव से थोड़ी दूर पर है। बसावनपुर गांव घटनास्थल से कितनी दूर पर है, याद नहीं है। घटनास्थल से भट्ठा पूरब दिशा में था लेकिन किसका भट्ठा था, पता नहीं है। निश्चय् ही प्रदर्श क–5 फर्द बरामदगी में अंकित कथन एवं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक बीरबहादुर सिंह द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि मामलें में कोई लोक साक्षी नहीं है और न ही लोक साक्षी लेने के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रयास पुलिस जनों द्वारा किया गया है और यह तथ्य निश्चय ही अभियोजन के विरूद्ध जाता है।

15(2). क्या फर्द बरामदगी की प्रमाणिकता संदिग्ध है?

इस सम्बन्ध में देखे तो निश्चित रूप से बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि फर्द बरामदगी संदिग्ध है और अभियुक्त को इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि फर्द बरामदगी सही है और अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से नहीं फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों के बयान से फर्द बरामदगी की प्रमाणिकता साबित है। निश्चित रूप से बचाव पक्ष द्वारा दिया गया तर्क सही प्रतीत होता है। क्योंकि फर्द बरामदगी में कोई लोक साक्षी नहीं है और यह तथ्य अभियोजन पक्ष के विरूद्ध जाता है। ऐसा क्रम संख्या 15(1)(**उपरोक्त**) में दिये गये निष्कर्ष से स्पष्ट हो चुका है। इस संदर्भ में प्रदर्श क–5 फर्द बरामदगी में जो कथन अंकित किया गया है वह सहज नहीं प्रतीत होता है। अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक बीरबहादुर सिंह द्वारा जो भी कथन किया गया है उससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा लोक साक्षी लेने के सम्बन्ध में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। इसके साथ ही साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि मुल्जिम को जहां से हम लोगों ने देखा था, वहां से मुल्जिम दक्षिण दिशा में था। घटनास्थल जहां है, वहां जनता के लोग साइकिल से आते जाते थे लेकिन घटना के समय कोई नहीं था। घटनास्थल पर जनता के लोगों को नहीं बुलाया गया था। घटनास्थल बसावनपुर गांव से थोड़ी दूर पर है। बसावनपुर गांव घटनास्थल से कितनी दूर पर है, याद नहीं है। घटनास्थल से भट्ठा पूरब दिशा में था लेकिन किसका भट्ठा था, पता नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बम गोल–गोल था, सुतली से बंध हुआ था लेकिन आकार का माप नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक के प्रति प्रतिकूल धारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है और मामले के सम्पूर्ण तथ्यों को देखते

हुये अभियोजन कथानक पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है। इस निष्कर्ष को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **धर्म सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 {2013 (80)ए0सी0सी0268}** तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा **अनिल कुमार बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड{2013(80)ए0सी0सी0 222 (उत्तराखण्ड)}** के मामलों में पारित विधि व्यवस्थाओं से भी बल मिलता है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

15(3). क्या मामले की विवेचना निष्पक्ष ढंग से नहीं की गयी है?

इस संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि मामले की विवेचना निष्पक्ष ढंग से नहीं की गयी है और अभियुक्त को फंसाने की नियत से एवं अपने से वरिष्ठ उपनिरीक्षक को खुश करने के लिए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है तथा घटना की सत्यता जानने का प्रयास विवेचक ने नहीं किया है। विवेचना केवल खानापूर्ति के उद्देश्य से की गयी है। विवेचना त्रुटिपूर्ण एवं दूषित है तथा अभियुक्त के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र सही नहीं है और वह दोषमुक्त होने का पात्र हैं। विवेचक और वादी मुकदमा एक ही थाने में कार्यरत थे, इसलिए विवेचक ने परिकल्पना पर आधारित अतिरंजित आरोप पत्र लगाया है जोकि सहीं नहीं है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने कहा है कि विवेचना सही तरह से की गयी है और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा वह दण्ड का भागी है।

निश्चित रूप से उभयपक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क में बल प्रतीत होता है। क्योंकि पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छोटेलाल ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 30.07.2010 को थाना कोखराज में ये उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विवेचक और वादी मुकदमा एक ही थाने पर नियुक्त रहे है। साक्षी पी0डब्लू0–2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छोटेलाल ने अपनी जिरह में कहा है कि घटनास्थल ग्राम बसावनपुर के दक्षिण दिशा में स्थित है। घटनास्थल ग्राम बसावनपुर से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी नहीं है। इसने सर्वप्रथम वादी का बयान लिया था। वादी मुकदमा का बयान किस तारीख को लिया था, याद नहीं है। वादी के बाद इसने बीर बहादुर सिंह का बयान लिया था। घटना के सभी गवाहों का बयान इसने एक दिन ही अंकित किया था। किस तारीख को किया था, याद नहीं है। सभी गवाहों का बयान एक ही दिन थाने पर लिया था। जिलाधिकारी से इसने कब अभियोजन चलाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी, तारीख याद नहीं है। निश्चय् ही विवेचक द्वारा लोक साक्षी लेने के सम्बन्ध में एवं मामले की सत्यता जानने के सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है।

अतः **राम जतन बनाम स्टेट 1995 यू.पी.सी.आर.आर. 349, रघुवीर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 1995 यू.पी.सी.आर.आर. 57, प्रहलाद बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2004 (11), यू.पी.सी.आर.आर. 29** के मामलों में पारित विधि व्यवस्थाओं को देखते हुये ऐसी विवेचना को उचित एवं निष्पक्ष विवेचना की संज्ञा नहीं दी जा सकती है और निश्चित रूप से अभियुक्त इसका लाभ पाने का अधिकारी हैं।

15(4). क्या केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है?

इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी व बनावटी है तथा फर्जी व बनावटी बरामदगी के आधार पर बरामद बमों के अवयव को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त के विरूद्ध मामला वादी मुकदमा व विवेचक के बयान से साबित नहीं हो सका है। अतः केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि फर्द बरामदगी सही है और अभियुक्त से बरामद बमों को निष्क्रिय कर उसके अवयव को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है और उसमें विस्फोटक सामग्री पोटैशियम, नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल पाये गये है। अतः स्पष्ट है कि जो बम बरामद किये गये थे, वे विस्फोट किये जाने योग्य थे। इसे देखते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिये।

उभयपक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामलें में कोई लोक साक्षी नहीं है तथा मामला संदेहास्पद पाया गया है। इसके साथ ही साक्षी पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक बीर बहादुर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि मुल्जिम को जहां से हम लोगों ने देखा था, वहां से मुल्जिम दक्षिण दिशा में था। घटनास्थल जहां है, वहां जनता के लोग साइकिल से आते जाते थे लेकिन घटना के समय कोई नहीं था। घटनास्थल पर जनता के लोगों को नहीं बुलाया गया था। घटनास्थल बसावनपुर गांव से थोड़ी दूर पर है। बसावनपुर गांव घटनास्थल से कितनी दूर पर है, याद नहीं है। घटनास्थल से भट्ठा पूरब दिशा में था लेकिन किसका भट्ठा था, पता नहीं है। साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बम गोल–गोल था, सुतली से बंध हुआ था लेकिन आकार का माप नहीं किया गया था। अतः मामलें को देखते हुए केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस निष्कर्ष को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गोविन्द बनाम हरियाणा राज्य निर्णीत दिनांक 14.11.2025, 2025 Live Law (SC) 1106** से भी बल मिलता है, जिसमें यह अवधारित किया गया

है कि केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

15(5). क्या अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

अब जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा–4/5 के तहत लगाये गये आरोप के साबित होने या न होने का प्रश्न है तो बचाव पक्ष की ओर से तर्क देते हुये कहा गया है कि अभियुक्त को मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है। मामले में फर्जी फर्द बरामदगी तैयार की गयी है और उसमें कोई लोक साक्षी नहीं है। फर्द बरामदगी की प्रमाणिकता संदिग्ध है। अभियुक्त के पास से थाने में तलाशी के समय फर्द की नकल और अन्य कोई चीज बरामद नहीं हुयी है। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि पुलिस दल ने अभियुक्त के कब्जे से दो अदद देशी बम नाजायज बरामद किया है। अभियोजन साक्षियों के बयान से अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे साबित है।

उभयपक्ष के तर्को, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि के आलोक में यदि मामले को देखें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0–3 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बीरबहादुर सिंह द्वारा दिये गये बयान एवं प्रदर्श क–5 फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले में कोई लोक साक्षी नहीं है और यह तथ्य क्रम संख्या 15(1) (**उपरोक्त**) में दिये गये निष्कर्ष से स्पष्ट हो चुका है और यह तथ्य अभियोजन के विरूद्ध जाता है। इसी प्रकार क्रम संख्या 15(2) एवं 15(3) (**उपरोक्त**) में दिये गये निष्कर्ष से स्पष्ट हो चुका है कि मामले में फर्द बरामदगी की प्रमाणिकता संदिग्ध है और निश्चय् ही उपरोक्त तथ्य अभियोजन पक्ष के विरूद्ध जाते हैं। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किये गये साक्षियों के बयान से यह तथ्य स्थापित नहीं हो सका है कि दिनांक 30.07.2010 को समय 15.30 बजे स्थान बसावनपुर मोड़ के पास, अन्तर्गत थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में पुलिस दल ने अभियुक्त को संदिग्धावस्था में गिरफ्तार करने एवं जामा तलाशी में दो अदद अवैध देशी बम बरामद किया गया हो। प्रस्तुत मामलें का कोई लोक साक्षी नहीं है। इसके साथ ही मामले की विवेचना निष्पक्ष ढंग से नहीं की गयी है जिसका लाभ अभियुक्त पाने का निश्चय ही अधिकारी हैं। क्रम संख्या 15(4) (**उपरोक्त**) में दिये गये निष्कर्ष से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि केवल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस निष्कर्ष को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गोविन्द बनाम हरियाणा राज्य** निर्णीत दिनांक 14.11.2025, 2025 Live Law (SC) 1106 में अवधारित किया गया है कि केवल विधि

विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है और उसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष सर्वथा असफल रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यॉकन के आधार पर अंकित किये गये उपरोक्त निष्कर्षो के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त शनि पटेल के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है। अतएव अभियुक्त शनि पटेल विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियोजन पक्ष अभियुक्त शनि पटेल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, अतएव अभियुक्त शनि पटेल को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त शनि पटेल जमानत पर है और न्यायालय में उपस्थित है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र को निरस्त किया जाता है तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक : 19.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 19.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.20 09:32:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court